न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 75/2017
जीसीएमएस नम्बर :: 2017/00301

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण:–
राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (भूमिधारी) जैतारण।		1. रामाराम पुत्र भंवरू कौम गुर्जर निवासी आन्न्दपुर कालु के कायम मुकाम :– 1.1 परमा देवी पुत्री रामराम गुर्जर 1.2 राकेश पुत्र रामाराम गुर्जर 1.3 राजू पुत्र रामाराम गुर्जर 1.4 पिस्ता पुत्री रामाराम गुर्जर 1.5 मंजू पुत्री रामाराम गूर्जर निवासीगण आनन्दपुर कालू तहसील जैतारण जिला पाली।

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– सरकारी पैरोकार सुरेन्द्र सिंह लबाना
अप्रार्थीगण की ओर से मोहम्मद शरीफ काजी

–:: आदेश ::–

दिनांकः– 22/9/21

तहसीलदार जैतारण द्वारा यह प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया गया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। एवं बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम आनन्दपुर कालु–। पटवार हल्का आनन्दपुर कालु–। के खसरा नंबर 1640/18 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा भूमी गैर मुमकिन नदी स्थित थी जो वर्तमान जमाबंदी संवत 2070–73 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमी का तहसीलदार जैतारण के आदेश क्रमांक 427 दिनांक 20.8.1970 की पालना में नामान्तकरण संख्या 508 दिनांक 11.1.1972 गुलजारशाह के हक में भूमी की किस्म परिवर्तन कर गैर मुमकिन नदी से बारानी अव्वल दर्ज कर भूमी आंवटन/नियमन करने से इन्द्राज किया गया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित है। गुलजारशाह के फौत होने से उसके उत्तराधिकारियों के नाम फौतदगी नामान्तरकरण 1283 दिनांक 8.1.97 को सरपंच आनन्दपुर कालु द्वारा भरा गया। उसके पश्चात उक्त भूमी का बेचाण अप्रार्थी संख्या 1 रामूराम पुत्र भंवरू जी को कर देने से नामान्तरकरण संख्या 1290 दिनांक 31.5.1997 को सरपंच ग्राम पंचायत आनन्दपुर कालु द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त भूमी की किस्म गै.मु. नदी होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमी है अतः तहसीलदार, जैतारण को न तो इसका किस्म परिवर्तन करने का अधिकार था और न ही इसका आवंटन/नियमन किया जा सकता था। अतः उक्त आवंटन/नियमन प्रतिबंधित भूमी का कर दिए जाने से निरस्त योग्य है। जिसे निरस्त फरमाकर जैर प्रार्थना पत्र आराजी को पुनः गै.मु. नाडी दर्ज कराने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि [illegible] भूमी वर्तमान में गैर मुमकिन नदी नहीं होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड [illegible] खातेदारी दर्ज है। पूर्व में तहसीलदार, जैतारण द्वारा आंवटन [illegible] पश्चातवृती नामान्तरकरण भरे गये है। वर्तमान में उक्त भूमी पर काश्त हो रही हैं जो [illegible]री में दर्ज है। उक्त भूमी किसी प्रकार की नदी [illegible] के बहाव क्षेत्र में न[illegible]ी है। अतः उक्त रेफरेन्स राजस्व मण्डल को भिजवाये जाने योग्य नहीं होने से खारिज फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:24:06 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर)
जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश 2

बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम आनन्दपुर कालु–। पटवार हल्का आनन्दपुर कालु–। के खसरा नंबर 1640/18 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा भूमी गैर मुमकिन नदी स्थित थी जो वर्तमान जमाबंदी संवत 2070–73 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमी का तहसीलदार जैतारण के आदेश क्रमांक 427 दिनांक 20.8.1970 की पालना में नामान्तकरण संख्या 508 दिनांक 11.1.1972 गुलजारशाह के हक में आवंटन/नियमन करने से उसे खातेदार दर्ज कर भूमी की किस्म परिवर्तन कर गैर मुमकिन नदी से बारानी अव्वल दर्ज कर भरा गया। जो विधिसम्मत नहीं है। तथा गुलजारशाह के फौत होने से उसके उत्तराधिकारियों के पक्ष में फौतेदगी नामान्तरकरण 1283 दिनांक 8.1.97 को सरपंच आनन्दपुर कालु द्वारा भरा गया। उसके पश्चात उक्त भूमी का बेचाण अप्रार्थी संख्या 1 रामूराम पुत्र भंवरू जी को कर देने से नामान्तरकरण संख्या 1290 दिनांक 31.5.1997 को सरपंच ग्राम पंचायत आनन्दपुर कालु द्वारा स्वीकृत किया गया। वर्तमान में जमाबंदी संवत 2070–73 में उक्त भूमी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज है। तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत उक्त गै.मु. नदी प्रतिबंधित श्रेणी की भूमी होने से उसकी किस्म गैर मुमकिन नदी से बारानी अव्वल में परिवर्तन कर इसका आवंटन/नियमन किया जाना विधिविरूद्ध था।

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की सेवामें प्रेषित कर निवेदन है कि नामान्तकरण संख्या 508 दिनांक 11.1.1972 जिसके जरिये भूमी की किस्म परिवर्तन कर नियमन/आवंटन की गई उक्त नामान्तरकरण व उसके पश्चातवृती नामान्तरकरण संख्या 1283 दिनांक 8.1.1997 व 1290 दिनांक 31.5.1997 को निरस्त फरमाने के साथ ही भूमी पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने के आदेश प्रदान करावे।

जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:24:06 IST
Reason: SelfAttested